न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 17/2013 G.C.M.S. No. 2013/00159 दर्ज दिनांक : 27.06.2013

अपीलार्थी

माणलाल पुत्र श्री अर्जुनराम जाति राईका, निवासी अटबड़ा, तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. ग्राम पंचायत अटबड़ा जरिये सरपंच।
2. उपखण्ड अधिकारी, सोजत।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत के आदेशांक राजस्व/अभियान/2013/845 दिनांक 31.01.2013 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र बाबत् अपील प्रस्तुत करने की इजाजत देने

पैरोकार:–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 29.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत के आदेशांक राजस्व/अभियान/2013/845 दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम मौजा अटबड़ा में खसरा नम्बर 689 अपीलाण्ट के कब्जे में 0.30 हैक्टेयर भूमि कदमी चली आ रही है। उपरोक्त भूमि पर कब्जा पूर्व में अपीलाण्ट के पिता अर्जुनरामजी का था व उसके बाद उपरोक्त भूमि पर कब्जा अपीलाण्ट का लगातार चला आ रहा है। अपीलाण्ट का पूर्वजों से भूमि पर कब्जा है, जिसका उपयोग एवं उपभोग 30 वर्षों से अधिक समय से अपीलाण्टगण व उसके परिवार करते आये है व उपरोक्त भूमि की उपयोग व उपभोग का सुखाधिकार अपीलाण्ट को प्राप्त हो चुका है। अपीलाण्ट का कब्जा है व अपीलाण्ट को बगैर सुने तथा आंवटन कमेटी के नियमों की अवहेलना करते हुए, आवंटन कमेटी की सहमति लिये बगैर प्रशासन गांवों के संग अभियान में उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत अटबड़ा को आंवटित कर दी। अतः लिहाजा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय का निरस्त फरमाया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/अभियान/2013/845 दिनांक 31.01.2013 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायत अटबड़ा को आंवटित की गई हैं। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील लगभग 3 माह के विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी। अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं हैं।
2. अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की इजाजत बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि अपीलाण्ट का विवादाग्रस्त स्थान पर कब्जा है व अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होता है। अतः अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करावें।
3. अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में अपीलाधीन आदेश द्वारा ग्राम अटबड़ा के खसरा संख्या 689 रकबा 10.66 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन मगरा सिवाय चक भूमि में से 0.80 हैक्टयर रकबा को आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत अटबड़ा को आवंटित की है। चूंकि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायक चक भूमि तथा अपीलाण्ट द्वारा उस पर विधि विरूद्ध अतिक्रमण के आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अतिक्रमी बेदखली के काबिल होते है न की अतिक्रमण से कोई अधिकार सृजित होते है। साथ ही चूंकि अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा सख्या 689 के 10.66 हैक्टयर में से महज 0.80 हैक्टयर रकबा बीपीएल परिवारों को निःशुल्क आवासीय योजना के लिए भू–खण्ड आवंटन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायत अटबड़ा को आंवटित/आरक्षित की है। अतः अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से किसी भी दृष्टि से प्रभावित, पीड़ित व आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतः अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है तथा अपीलाण्ट को अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारवान नहीं होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित होने से अपील अपीलाण्ट इसी स्तर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलाण्ट बाबत् अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बखूबी साबित नही होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित होने से अपील अपीलाण्ट इसी स्तर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner